

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- मु0 अ0-4 (मु0) राज्य योजना (नाबार्ड)-03-364/2018 5657 / पटना, दिनांक 10/12/18

प्रेषक,

संजय कुमार भा0 प्र0 से0  
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बेलसंड के अधीन सुष्पी प्रखंड के छौरहिया से बोकटा टोला तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 3.20 कि० मी० निर्माण हेतु रू० 204.096 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 27.502 लाख अर्थात् कुल राशि 231.598 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख उनसठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बेलसंड के अधीन सुष्पी प्रखंड के छौरहिया से बोकटा टोला तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 3.20 कि० मी० निर्माण हेतु रू० 204.096 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 27.502 लाख अर्थात् कुल राशि 231.598 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख उनसठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेलसंड संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड- 37-4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेलसंड द्वारा संबंधित योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, सीतामढ़ी एवं मुख्य अभियंता-3, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, बेलसंड सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना शीर्ष के अधीन स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सधिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) राज्य योजना (नाबार्ड)-03-364/2018 के पृ० सं०-06/टि० पर दिनांक 25.10.2018 को किया गया।

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राधिका संख्या- सं० मु० अ०-४ (मु०) राज्य योजना (नाबार्ड)-०३-३६४/२०१८ में पृष्ठ ०८/टि० पर दिनांक ०१.११.१८ को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-४-४५/९४-३०१ वि (२) दिनांक ३१.०१.१९९५ एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (८)-११-२००५-५०९० वि (२) दिनांक १५.०९.०५ एवं २९५ दिनांक २४.०३.१५ के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं० ९६ दिनांक ०३.०१.२००८ एवं ३७५८ दिनांक ३०.०५.१८ में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संविका सं०- मु० अ०-४ (मु०) राज्य योजना-०३-३६४/२०१८ के पृष्ठ संख्या- १२ / टि० पर दिनांक- २९.११.१८ को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, बेलसंड से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक २०.०९.११ के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन



( संजय कुमार )  
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०) राज्य योजना (नाबार्ड)-०३-३६४/२०१८ ५६५७ / पटना, दिनांक- १०/१२/१८  
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०) राज्य योजना (नाबार्ड)-०३-३६४/२०१८ ५६५७ / पटना, दिनांक- १०/१२/१८  
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, सीतामढी/उप विकास, आयुक्त सीतामढी/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्रांडा/मुख्य अभियंता-३, पटना ग्रा० का० वि०/मु० अ०-४ (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, सीतामढी/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, बेलसंड/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉंचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष सचिव